कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–:कार्यालय आदेशः–

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय–हिन्दी के कार्मिकों की परिवेदना निस्तारण व स्थानान्तरण उपरान्त उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है –

S.NO.	NAME AND EMP ID	PRESENT POSTING PLACE	NEW POSTING PLACE	REMARK
1	POORAN SINGH GURJAR RJBW202408103258	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SODAR (214419) BHILWARA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AASTIKALAN (218479) JAIPUR	
2	RAJENDRA PRASAD MEENA RJCT202411103234	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DORAI (224103) CHITTAURGARH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINGOD KHURD (218433) JAIPUR	

उपर्युक्त सभी कार्मिको को उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल/अवकाश का उपयोग किये तत्काल अपनी आगामी उपस्थिति नवीन पदस्थापन पर दिया जाना सुनिश्चित करें।

संबधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि:–

1. उक्त कार्मिकों को उपर्युक्त आदेश की पालना मे शालादर्पण पोर्टल पर अविलम्ब कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सुनिश्चित करावें। उक्त आदेश की पालना के अभाव मे संबंधित अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी जिसके लिये संबंधित अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।
2. जिन कार्मिकों का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
3. यदि पूर्व में कोई कार्मिक पद विरूद्व/समान पद पर कार्यरत कार्मिक या अन्य कारणों से (न्यायालय प्रकरणों को छोड़कर) दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो नव पदस्थापित कार्मिक को कार्यग्रहण करवाया जाकर पूर्व में कार्यरत कार्मिक को संबंधित नियुक्ति अधिकारी कार्यालय हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. यदि पूर्व में प्राध्यापक पद पर कोई उप प्राचार्य/प्राचार्य पदोन्नत होकर यथावत कार्यरत है, तो उपप्राचार्य/प्राचार्य को अधिशेष कार्मिक के रूप में ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जाकर नव पदस्थापित प्राध्यापक को अनिवार्य रूप से मूल पद पर ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
6. समस्त प्रकार की प्रतिनियुक्ति (144–क)/साक्षात्कार/महात्मा गांधी/राजकीय विद्यालय में कार्यरत कार्मिको का स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति समाप्ति/प्रत्यावर्तन करते हुए किया गया है। अतः उक्त संबंधित कार्मिकों को नवीन स्थानांतरित स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

7. लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानांतरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त कार्मिकों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना करते हुए तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
8. मातृत्व अवकाश स्वीकृत कार्मिकों को अवकाश अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्यग्रहण करवाया जाकर आगामी कार्य दिवस में स्थानांतरित स्थान हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करावें।
9. सूची में ऐसे कार्मिक है जिनकी सेवानिवृति/स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति हो चुकी है, उनके संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। उक्त कार्मिकों के संबंध में अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करावें।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर एवं पदेन अतिरिक्त
राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–4/हिन्दी/स्थानान्तरण/2026 दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही/ पालनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रा. शिक्षा/संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा, को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग का निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्मिकों की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही का प्रबोधन करावें।
11. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि कार्यमुक्ति के उपरांत उक्त आदेश की पालना में संबंधित स्थानांतरित स्थान पर अनिवार्य रूप से अविलम्ब कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

19.8.26

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)